आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ23(46) लेखा/आकाशि/अ.सं./एन.एस.पी.पोर्टल/विविध/2021–22/826 दिनांकः– 01/12/2021

समस्त प्राचार्य
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :– अल्पसंख्यक छात्रवृति हेतु एनएसपी पोर्टल पर शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन, केवाईसी, अपडेशन एवं आधार आथेन्टीफिकेशन वेरीफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाबत।

सन्दर्भः– आयुक्त, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर के पत्रांक–एफ 2(9178)/DOIT/20/04302/2021 दिनांक–9.11.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति प्रदान किये जाने के संबंध में है। पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृति कक्षा 11 से पीएचडी एवं अन्य एकेडमिक पाठ्यक्रमों तथा मैरिट कम मीन्स छात्रवृति व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर संस्थाओं के माध्यम से आवदेन करना होता है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021–22 में घोषणा की गई है कि "प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजनाओं से वंचित रहे पात्र अभ्यार्थियों को भी छात्रवृति प्रदान की जावेगी।" यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिना रजिस्ट्रेशन, केवाईसी, अपडेशन एवं आधार आथेन्टीफिकेशन कार्य के छात्र–छात्राओं द्वारा आवेदन कर पाना असंभव होगा।

इस कार्यालय के पत्रांक–789 दिनांक–24.11.2021 द्वारा समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को समयबद्ध रूप से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर रजिस्टर्ड करवाने केवाईसी एवं आधार आथेन्टीफिकेशन दिनांक–25.11.2021 तक करवाने हेतु अवगत करवाया गया था लेकिन आप द्वारा समयबद्ध अवधि में उक्त कार्यवाही नहीं करने पर उच्चधिकारियों द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। निर्देशानुसार आप उक्त कार्यवाही हेतु दिनांक–7.12.2021 तक करवाना सुनिश्चित करावें।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ23(46) लेखा/आकाशि/अ.सं./एन.एस.पी.पोर्टल/विविध/2021–22/827-830 दिनांकः– 01/12/2021

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, सचिवालय, जयपुर
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय, जयपुर
4. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार

D/ ALL OFFICE DATA AND FILES/ Miscellenious All word fileF23(46) Misc.